ग्राम पंचायत द्रमण, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2021 से 03/2023

भाग-एक

1 **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के द्रष्टिगत ग्राम पंचायत द्रमण, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 तक के दौरान ग्राम पचांयत द्रमण में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव कार्यरत रहे हैं।

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री पवन कुमार	01-04-2021 से 31-03-2023

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्रीमती कंचन कुमारी	01-04-2021 से 31-03-2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत द्रमण, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० सं०	पैरा सं०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
01.	7.1 - 7.2	पंचायत राजस्व गृहकर एवं विवाह पंजीकरण शुल्क इत्यादि का वसूली/जमा न किये जाने बारे।	0.07
02.	8.2	बिना M फॉर्म के क्रय करने से सरकारी राजकोष को रॉयल्टी के तौर पर राजस्व की भारी वितीय की हानि बारे।	0.97
03.	8.3	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) की सम्भावित वित्तीय हानि।	0.69
04.	8.4	निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे।	09
05.	9.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय बारे।	0.67
06.	9.2	प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना किया गया अनियमित भुगतान।	1.85
07.	9.3	मस्ट्रोलों के व्यय/भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य अनियमितताओं बारे।	1.49

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत द्रमण, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 23-01-2024 से 30-01-2024 तक ग्राम पंचायत द्रमण के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2021-2022	03/2022	07/2021
2.	2022-2023	10/2022	05/2022

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत द्रमण, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क **₹**4000/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/31 दिनांक 30-01-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत द्रमण द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

(क) स्व:-स्रोत व अनुदान

ग्राम पंचायत द्रमण के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक स्व:-स्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है:-

(i) स्व:-स्रोत (3rd State/13TH FC)

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2021-22	818044	836617	1654661	369489	1285172
2022-23	1285172	457510.88	1742682.88	362399	1380283.88

(ii) अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2021-22	1998681.78	4358176.34	6356858.12	4311719.2	2045138.92
2022-23	2045138.92	5408609.77	7453748.69	6107678.45	1346070.24

नोट: उपरोक्त स्व:-स्रोत के अंतर्गत अन्य अनुदान जैसे 13वां वित्तायोग एवं 3RD स्टेट का पंचायत द्वारा एक बैंक खाता व एक ही रोकड़ बही में संधारण किया जा रहा है। (कृपया पूर्ण विवरण पैरा संख्या 10.2 पर देखें) जिससे कि; उक्त स्व:-स्रोत की वास्तविक राशि को पृथक तौर पर नहीं दर्शाया जा सकता है।

कुल योग (i + ii) = ₹1380283.88 + ₹1346070.24 = ₹2726354.12

(ख) ग्राम पचांयत द्रमण, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 31/03/2023 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2023
1.	15वां वित्तायोग	50100312829110	HDFC CHAMBA	**1019560.30**
2.	14वां वित्तायोग	99228100049760	HPGB Obri	**0**
3.	SBM	19920100197	ICICI BANK CBA	**1578**
4.	VBKY	99220100001507	HPGB Obri	**3**
5.	AAY/RAY	99228100049759	HPGB Obri	**0**
6.	SDP	99228100049761	HPGB Obri	**20382.30**
7.	MMGPY	99228100072211	HPGB Obri	**54749.92**
8.	VKVNY/ Relief/ TD/TASP	99228100049762	HPGB Obri	**163755.88**
9.	RGSA	99220100007511	HPGB Obri	**86001.84**
10.	BRGF/ MMRRRY	17910109656	HPSCB Chamba	**39**
11.	SF /5th State/ 13th FC/General	17910109655	HPSCB Chamba	**1379509.88**
			Cash in hand	**774**
			TOTAL	**₹2726354.12**

अन्तर (क-ख) ₹2726354.12 - ₹2726354.12 = 0

5.1 PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में राशि ₹0.06 लाख के अन्तर बारे।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में e-PANCHAYT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत e-PANCHAYT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है; तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेयर में बनाये गए थे वे मैन्युअल रोकड़बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते। दिनाँक 31-03-2023 को PRIYA सॉफ्टवेर व मेनुअल लेखों में निम्नविवरणानुसार राशि ₹5559/- का अन्तर पाया गया।

31-03-2023 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मेनुअल संधारित लेखों (रोकड़बही) में अन्तशेष

31-03-2023 को PRIYA SOFT. में संधारित रोकड़बही का अन्तशेष	**₹2720795.00**
31-03-2023 को पंचायत द्वारा मेनुअल संधारित रोकड़बही का अन्तशेष	**₹2726354.12**
अन्तर	**₹5559.12**

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि, पंचायत सचिव द्वारा PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं, जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु इसमें अनधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 29 दिनाँक 29-01-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, ऑनलाइन एवं मैन्युअल रोकड़बही के अंतर का मिलान करके शीघ्र ही अनुपालना से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। अत: अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹13.46 लाख का अवरोधन।

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों सेसम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनाँक 31-03-2023 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से **₹**1346070.24 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों

हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बन्धित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-29 दिनाँक 29-01-2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत द्रमण के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि "भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।"

अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के आदेशों की प्रति/पत्र अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध न करवाने बारे।

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गए अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की प्रतियाँ अंकेक्षण में सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि, पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष हेतु प्राप्त किये गए हैं।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 29 दिनाँक 29-01-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत को अनुदान आदेशों की प्रति/पत्र प्राप्त नहीं हुए तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप से अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अत: उक्त प्रकरण को विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.02 लाख की वसूली न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में

प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत द्रमण के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्नलिखित ₹2400/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

क्र० स०	वितीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति /परिवार	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष राशि
1.	2021-22	35050	491	50	24550	59600	39300	20300
2.	2022-23	20300	503	50	25150	45450	43050	2400

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 30 दिनांक 30-01-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनाँक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनाँक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण का सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत ₹200 (30 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹25 (30 दिन के अंदर) की वसूली की जानी अपेक्षित थी एवं वसूली गई फीस को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्नविवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹4725/- को सरकारी

राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है अपितु इसे पंचायत के सभा निधि के बैंक खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	**कुल पंजीकृत विवाह**	**सामान्य/रद्द**	**राशि**	**BPL दर**	**राशि**	**कुल राशि सामान्य व BPL**
2021-22	11	08@200 03@200 late fee	1600+600 =2200	3@25 1@25 late fee	**(75+25) =100**	**2300**
2022-23	08	08@200 4@200 late fee	1600+800 =2400	01@25	**25**	**2425**
					कुल योग	**₹4725**

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-30 दिनाँक 30-01-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि; विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली उपरान्त उसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा।

अत: उपरोक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करने उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत द्रमण के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 29 दिनाँक 29-01-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना M-फॉर्म के क्रय करने से सरकार को रॉयल्टी के तौर पर राशि ₹0.97 लाख के राजस्व की भारी वित्तीय हानि।

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म प्राप्त कर सम्बंधित पंचायत को देना अनिवार्य है। इसके अत्तिरिक्त उद्योग विभाग चंबा के पत्र संख्या 902 दिनाँक 18-02-2022 के अंतर्गत समस्त विकास खण्ड कार्यालयों को संशोधित मूल्य अनुसार रॉयल्टी के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गए थे।

परन्तु ग्राम पंचायत द्रमण, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णत: अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से अन्नापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म लिए बिना ही रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति ली गई है। जिससे कि, न केवल अवैध खनन हुआ अपितु अनाधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से क्रय करने के कारण सरकार को राशि ₹96651/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) की रॉयल्टी की वित्तीय हानि भी हुई है। इसके अत्तिरिक्त उद्योग विभाग के पत्र संख्या Ind-II(F)6-14/2014-Vol-1 दिनाँक 10-02-2022 के अंतर्गत नियम 81A की प्रविष्टि के तहत खनन पट्टा धारक न होने की स्थिति में रॉयल्टी की राशि का 25% जुर्माना का भुगतान भी करना होगा।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/24 दिनाँक 27-01-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, उक्त क्रय सामग्री हेतु रॉयल्टी की कटौती सम्बन्धित संविदाकारों से करके एवं उसे सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं आगामी भविष्य में M-फार्म न होने की स्थिति में नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जायेगी एवं उसे समयबद्ध सरकारी कोष में भी जमा करवा दिया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है । अत: इस अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.69 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्रमण के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की खरीद गई थी एवं पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹1451932/- भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है ।) किया गया था परन्तु उक्त आपूर्तिकर्ताओं के GST संख्या के अवलोकन में पाया गया कि उक्त फर्में रेत, बजरी एवं पत्थर के व्यवसाय हेतु अधिकृत नहीं है। लेकिन उक्त फर्मों द्वारा न केवल उक्त सामान की आपूर्ति की गई अपितु इनसे वस्तु एवं सेवा कर की कटौती भी की गई है एवं यह बिल प्रापर/कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल परफोर्मा बिल है जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। (Key Documents Raugh Sheets P-25-28) यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹69140/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

उक्त गम्भीर प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 23 दिनाँक 27-01-2024 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त पत्र द्वारा सूचित कि, उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पंचायत से सामग्रियों पर GST ले लिया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया गया है या नहीं इस मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से शीघ्र ही अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में टैक्स बिलों पर ही भुगतान किया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के सम्बन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमाविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त उक्त राशि की उचित स्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.4 कनिष्ठ अभियंता स्तर पर राशि ₹09 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन एवं मापन पुस्तिका इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत द्रमण की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता स्तर पर निम्नविवरणनुसार करवाए गए कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका, उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त स्तर पर किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

क्रम/अनुदान	**कार्य विवरण**	**स्वीकृत राशि**	**टिप्पणी**
RGSA.1 23-2022	कार्य: अपग्रेडेशन/रिपेयर वर्क पंचायत घर पंचायत द्रमण	400000	प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका, उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि।
.2मनरेगा 23-2022	कार्य : प्रोटेक्शन वर्क एम्बुलेंस रोड गडाडी से खेई	500000	यथोपरी
	कुल योग	**900000**	

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-28 दिनाँक 29-01-2024 द्वारा पंचायत सचिव को उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त कार्यों से सम्बन्धित समस्त अभिलेख कनिष्ट अभियंता के पास विकास खण्ड में पड़े हुए है यह पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिससे कि इन्हें अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। उत्तर तकसँगत प्रतीत नहीं होता है। अत: उक्त वांछित अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9.1 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹0.67 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें, कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्रमण द्वारा राशि ₹67455/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "3"** में दिया गया है।) जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, जोकि एक गंभीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-25 दिनाँक 27-01-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कुटेशन के क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

अत: इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई समस्त खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना

सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.2 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹1.85 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान हेतु ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरुरी है।

ग्राम पंचायत द्रमण के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत प्रधान द्वारा एकल हस्ताक्षर से ही (संलग्न **परिशिष्ट "5"**) राशि ₹185013/- भुगतान किये गए थे जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता है जिसके अंतर्गत राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है एवं न ही किये गए भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-27 दिनांक 27-01-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में सारे भुगतान प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेंगे। अत: नियमों के विरुद्ध किये गए भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.3 राशि ₹1.49 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

ग्राम पंचायत द्रमण के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार कुल राशि **₹**149356/- का व्यय किया गया। जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. मस्टरोल पर सतर्कता समिति के हस्ताक्षर न करवाने बारे।
2. प्रधान एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान करने बारे।

3. मस्टरोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान द्वारा सत्यापित न करने बारे।

क्र०स०/ अनुदान	**निर्माण कार्य**	**मस्ट्रोल संख्या**	**वाउचर/ दिनाँक**	**राशि**
1.14th FC	कार्य : जीप रोड मेन रोड से GPS परेल-II	7469/ 7484	14 & 15/ 03-07-2021	115274
2.15th FC	कार्य : टाईल वर्क, पंचायत घर द्रमण	7497	07/ 04-05-2022	34082
			कुल योग	**₹149356**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 270 दिनाँक 19-09-2023 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.4 क्रय पत्थरों की मात्रा मानक इकाई क्यूबिक मीटर में न दर्शा कर कुल संख्या में दर्शाने बारे।

ग्राम पंचायत द्रमण के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में पत्थरों के क्रय किये गए बिलों में मात्रा पंचायती राज द्वारा निर्धारित मानक इकाई क्यूबिक मीटर में न होकर संख्या में दर्शाई गई है जोकि पत्थरों की मात्रा को दर्शाने वाला अधिकृत/उचित मानक प्रतीत नहीं होता है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-27 दिनांक 27-01-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव एवं तकनीकी सहायक द्वारा सूचित किया कि, 150 पत्थर में एक क्यूबिक मीटर बनते हैं एवं भविष्य में पत्थरों को क्यूबिक मीटर में ही क्रय किया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्रमण के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया गया था। रोकड़ बहियों में न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए है और न ही ऑनलाइन रोकड़बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-29, दिनाँक 29-01-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि; भविष्य में रोकड़ बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़ बहियों को पंचायत अभिलेख में रख लिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2. खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व:-स्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वितीय वर्ष 2021-22 से 2022-23 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे 3rd/5th स्टेट, एवं 13वें वित्तायोग का एक बैंक खाते एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 29 दिनांक 29-01-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व:-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **<u>नियम 29 से 31</u>** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **<u>नियम 34</u>** के अन्तर्गत

पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-29, दिनाँक 29-01-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11 भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के <u>**नियम 73**</u> के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्रमण की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-29 दिनाँक 29-01-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकसँगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13 **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा जा सके।

(कृष्ण लाल नेगी) 06.06.24
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

0 7 JUN 2024

2365-2369 का०/50

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल०ए०) एच (पंच) 15 (7) 142/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि०प्र०।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा हि०प्र०।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत द्रमण, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी) 06.06.24
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

का०/50

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित

Financial Position of GP Draman for the Year 2021-2022 To 2022-2023

1. Own Source (3rd State & 13 th FC)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	818044	836617	1654661	369489	1285172
2022-23	1285172	457510.88	1742682.88	362399	1380283.88

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	1998681.78	4358176.34	6356858.12	4311719.2	2045138.92
2022-23	2045138.92	5408609.77	7453748.69	6107678.45	1346070.24

नोटः प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत द्रमण, विकास खंड चम्बा में उपरोक्त निधियों के अंतर्गत ग्यारह रोकड़ बहियाँ का संधारण किया जा रहा है।

1+ 2 = 1380283.88+1346070.24 = 2726354.12

सचिव
ग्राम पंचायत द्रमण
वि०ख० चम्बा तह०
जिला चम्बा (हि०प्र०)

Checked

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित

Income Statement of GP Draman Development Block Chamba District Chamba Himachal Pradesh Year 2021 - 2022

Month	OWN SOURCE	SDP	VKVNY	RAY RAY	VBKY	RGSA	BRGF	MMRR RY	MMGPY	Relief	TASP TD	SBM	3rd State	13th FC	14 FC	15 FC	MGNREGA	TOTAL
April	550	0	0	0	0	0	0	0	73817	0	0	0	53544	0	0	234401	0	362312
May	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134129	172829	306958
June	1100	511	1155	8	6	1055	0	0	50484	0	0	11	37323	0	8289	229935	103298	433175
July	12750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872912	885662
August	1375	0	0	0	0	0	0	0	0	72267	0	0	0	0	0	0	212216	285858
Sep.	16415	498	651	8	6	872	0	54	194	0	0	11	48000	0	6622	209213	297620.5	580164.5
Oct.	6450	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	48000	0	0	0	264943	359393
Nov.	875	0	0	0	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	258520.84	334395.84
Dec.	550	50244	468	8	6	360874	60984	0	25	0	0	11	0	0	4450	0	17820	495440
Jan.	1365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54619	0	0	9289	113795	179068
Feb.	2400	0	75000	0	0	6868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95100	179368
March	**251301**	270	198	8	6	3467	1516	0	611	0	0	11	0	300000	3600	150000	82011	792999
TOTAL	**295131**	**51523**	**77472**	**32**	**24**	**413136**	**62500**	**54**	**200131**	**72267**	**0**	**44**	**241486**	**300000**	**22961**	**966967**	**2491065.34**	**5194793.34**

Expenditure Statement of GP Draman Development Block Chamba District Chamba Himachal Pradesh Year 2021 - 2022

Month	OWN SOURCE	SDP	VKVNY	AAY RAY	VBKY	RGSA	BRGF	MMRR RY	MMGPY	Relief	TD/TASP	SBM	3rd State	13th FC	14 FC	15 FC	MGNREGA	TOTAL
April	0	0	0	0	0	12000	0	0	94274	0	97371	0	95352	0	24503	25048	0	**348548**
May	2504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	172829	**180333**
June	1682	0	0	0	0	0	0	0	68572	0	58176	0	104400	0	97196	0	103298	**433324**
July	**8538**	**7920**	**0**	**0**	**0**	**42285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166904.08**	**0**	**872912**	**1098559.08**
August	837	7920	0	0	0	0	0	0	0	27649	0	0	0	0	0	0	212216	**248622**
Sep.	2134	25710	0	0	0	0	0	0	0	46380	0	0	0	0	299883	0	297620.5	**671727.5**
Oct.	5115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264943	**270058**
Nov.	1740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40105	0	0	0	0	0	258520.84	**300365.84**
Dec.	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16975	17820	**37045**
Jan.	1214	58450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15675	17.7	113795	**189151.7**
Feb.	9580	0	40392	0	0	89583	0	0	0	0	0	0	127400	0	0	87120	95100	**449175**
March	5903	0	0	0	0	0	62587	0	31389.08	0	0	0	840	0	271569	0	82011	**454299.08**
TOTAL	**41497**	**100000**	**40392**	**0**	**0**	**143868**	**62587**	**0**	**194235.08**	**74029**	**195652**	**0**	**327992**	**0**	**880730.08**	**129160.7**	**2491065.34**	**4681208.2**

सचिव
ग्राम पंचायत द्रमण
वि०ख० चम्बा तह०
जिला चम्बा (हि०प्र०)

परिशिष्ट "1" क्रम संख्या 4 में अ.प्रमित

Income Statement of GP Draman Development Block Chamba District Chamba Himachal Pradesh Year 2022 - 2023

Month	OWN SOURCE	SDP	VKVNY	RAY / RAY	RGSA	VBKY	MMR RRY	MMGPY	SBM	3rd State	13th FC	14 FC	15 FC	MGNREGA	TOTAL
April	13765	0	0	0	0	0	476	0	19052	48000	0	0	9045	53680	**144018**
May	1800	0	74880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814393.46	**891073.46**
June	820	100138	477	8	2968	5	0	380	12	0	0	3265	134129	61902	**304104**
July	4305.88	0	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	8182	40904	**203391.88**
August	8920	0	0	0	0	0	0	0	0	59200	0	0	140867	320044	**529031**
September	21544	711	75861	5	2873	3	39	292	12	0	50000	11	0	81427.51	**232778.51**
October	**27605**	0	290000	0	0	0	0	0	0	840	0	0	209092	126570	**654107**
November	3011	99710	74895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291566	**469182**
December	10150	205	1803	0	1960	0	0	32	12	82200	0	0	218397	303729	**618488**
January	750	0	74702	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	739618.8	**817070.8**
February	7700	0	64775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110975	44472	**227922**
March	19950	175	12641	0	1685	0	0	50032	11	94950	0	0	352167	243343	**774954**
TOTAL	**120320.88**	**200939**	**745034**	**13**	**9486**	**8**	**515**	**125736**	**19099**	**287190**	**50000**	**3276**	**1182854**	**3121649.77**	**5866120.65**

Expenditure Statement of GP Draman Development Block Chamba District Chamba Himachal Pradesh Year 2022 - 2023

Month	OWN SOURCE	SDP	VKVNY	AAY / RAY	RGSA	VBKY	MMR RRY	MMGPY	SBM	3rd State	13th FC	14 FC	15 FC	MGNREGA	TOTAL
April	0	0	0	0	0	0	0	0	19052	0	0	0	125494	53680	**198226**
May	**5812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79559**	**206687.6**	**186156**	**814393.46**	**1292608.06**
June	955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61489	61902	**124346**
July	0	28020	138442	1130	0	757	4039	118618	0	0	0	3265.88	61594	40904	**396770.08**
August	12715	70890	0	0	0	0	0	0	0	110200	0	0	51596	320044	**565445**
September	2225	0	0	0	170916	0	0	0	0	0	0	0	124106	81427.51	**378674.51**
October	907	0	62360	0	0	0	0	0	0	0	0	11	108229	126570	**298077**
November	600	0	40000	0	0	0	0	0	0	12400	0	0	220479	291566	**565045**
December	1619	100800	128880	5	0	0	0	0	0	0	0	0	317869	303729	**852902**
January	2065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739618.8	**741683.8**
February	0	0	223132	0	0	0	0		0	78300	0	0	9300	44472	**355204**
March	2252	0	53790	0	164178	0	0	0	0	52790	0	0	184743	243343	**701096**
TOTAL	**29150**	**199710**	**646604**	**1135**	**335094**	**757**	**4039**	**118618**	**19052**	**253690**	**79559**	**209964.48**	**1451055**	**3121649.77**	**6470077.45**

सचिव
ग्राम पंचायत द्रमण
वि०ख० चम्बा तह०
जिला चम्बा (हि०प्र०)

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित

Financial Position Grants in Aids of GP Draman for the Year to 2021-2022 To 2022-23

Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2021-22	0	2491065.34	2491065.34	2491065.34	0
		2022-23	0	3121649.77	3121649.77	3121649.77	0
2	15TH FC	2021-22	449955	966967	1416922	129160.7	1287761.3
		2022-23	1287761.3	1182854	2470615.3	1451055	1019560.3
3	14TH FC	2021-22	1064457.56	22961	1087418.56	880730.08	206688.48
		2022-23	206688.48	3276	209964.48	209964.48	0
4	SBM	2021-22	1487	44	1531	0	1531
		2022-23	1531	19099	20630	19052	1578
5	VBKY	2021-22	728	24	752	0	752
		2022-23	752	8	760	757	3
6	AAY/RAY	2021-22	1090.2	32	1122.2	0	1122.2
		2022-23	1122.2	13	1135.2	1135.2	0
7	SDP	2021-22	67630.3	51523	119153.3	100000	19153.3
		2022-23	19153.3	200939	220092.3	199710	20382.3
8	MMGPY	2021-22	41736	200131	241867	194235.08	47631.92
		2022-23	47631.92	125736	173367.92	118618	54749.92
9	VKVNY/Relief/TASP	2021-22	225659.88	149739	375398.88	310073	65325.88
		2022-23	65325.88	745034	810359.88	646604	163755.88
10	RGSA	2021-22	142341.84	413136	555477.84	143868	411609.84
		2022-23	411609.84	9486	421095.84	335094	86001.84
11	BRGF/MMRRRY	2021-22	3596	62554	66150	62587	3563
		2022-23	3563	515	4078	4039	39

सचिव
ग्राम पंचायत द्रमण
वि०ख० चम्बा जि०
जिला चम्बा (हि०प्र०)

परिशिष्ट – "3"

ग्राम पंचायत ब्रमण, विकास खण्ड चंबा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना (पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित)

Sr.No. Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./Rate	[illegible]	Amount	Remarks
1.SF	09/ 13-07-21	Stationery	-	M/S Shakti General Store Chamba	2046	Quotations
2.SF	09/ 23-08-22	Stationery		M/S Shakti General Store Chamba	2240	Quotations
3.14th FC	37/ 24-03-22	LCD With Goggle voice	01@63169	M/S Hari Om Computers Chamba	63169	Tender CS & SO
				Total	67455	

[illegible signature and stamp]

परिशिष्ट "4" पैरा संख्या 8.2^ 8.3 में संदर्भित

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP DRAMMAN FROM WHICH ROYALITY & GST NOT PAID/DEDUCTED

	01-04-2021 TO 31-03-2023										
SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT TO BE PAID	EXCESS PAID GST
1	M/S Deepak Kumar	PS	01,	Sand	3.11	4.976	5761	60	298.56	5486.6667	274.3333
	PO Sach, Chamba		29-04-2021	Aggre.	6.23	12.0862	13618	60	725.172	12969.524	648.4762
				Stone	13.56	30.3744	27126	60	1822.464	25834.286	1291.714
2	M/S Deepak Kumar	MMGPY	01,	Sand	10.19	16.304	19800	60	978.24	18857.143	942.8571
	PO Sach, Chamba		29-04-2021	Stone	2.93	6.5632	4400	60	393.792	4190.4762	209.5238
3	M/S Manup Sharma	MMGPY	01,	Stone	10.73	24.0352	21728	80	1922.816	20693.333	1034.667
	PO Laddu, Chamba		30-07-2022						0		
4	M/S Manup Sharma	MMGPY	05,	Sand	8	12.8	15256	60	768	14529.524	726.4762
	PO Laddu, Chamba		11-01-2022	Aggre.	14.3	27.742	32303	60	1664.52	30764.762	1538.238
5	M/S Manup Sharma	MMGPY	02 & 03	Sand	6.34	10.144	13439	80	811.52	12799.048	639.9521
	PO Laddu, Chamba		29-08-2022	Aggre.	5.56	10.9601	14000	80	876.432	13333.333	666.6667
				Stone	10.66	23.8784	25600	80	1910.272	24380.952	1219.048
6	M/S Pawan Kumar Sharma	TASP	01,	Sand	7.92	12.672	15399	60	760.32	14665.714	733.2857
	PO Sach, Chamba		16-04-2021	Aggre.	6.51	12.6294	14949	60	757.764	14237.143	711.8571
7	M/S Pawan Kumar Sharma	TASP	02,	Stone	7.43	16.6432	12544	60	998.592	11946.667	597.3333
	PO Sach, Chamba		16-04-2021	Aggre.	5.38	10.4372	12349	60	626.232	11760.952	588.0476
8	M/S Manup Sharma	TASP	16,	Sand	8	12.8	15257	60	768	14530.476	726.5238
	PO Laddu, Chamba		26-11-2021	Aggre.	11	21.34	24849	60	1280.4	23665.714	1183.286
9	M/S Manup Sharma	VKVNY	01 & 02	Stone	8.89	19.9136	18002	60	1194.816	17144.762	857.2381
	PO Laddu, Chamba		18-07-2022	Sand	10.92	17.472	20825	60	1048.32	19833.333	991.6667
				Aggre.	19	34.92	40662	60	2095.2	38725.714	1936.286
10	M/S Manup Sharma	VKVNY	13 & 16	Sand	13.67	21.872	28979	80	1749.76	27599.048	1379.952
	PO Laddu, Chamba		15-02-2023	Aggre.	4.24	8.2256	10500	80	658.048	10000	500
11	M/S Pawan Kumar Sharma	SBM	01,	Sand	3.33	5.328	19052	60	319.68	18144.762	907.2381
	PO Sach, Chamba		12-04-2022					60	0	0	0
12	M/S Deepak Kumar	14TH FC	07,	Sand	2.83	4.528	5500	60	271.68	5238.0952	261.9048
	PO Sach, Chamba		09-06-2021	Aggre.	5.66	10.9804	12999	60	658.824	12380	619
				Stone	17	38.08	28490	60	2284.8	27133.333	1356.667
13	M/S Deepak Kumar	14TH FC	11 & 12	Aggre.	1.14	2.2116	11109	60	132.696	10580	529
	PO Sach, Chamba		03-07-2021	Sand	4.53	7.248	8799	60	434.88	8380	419
				Stone	1.5	3.36	31492	60	201.6	29992.381	1499.619
14	M/S Deepak Kumar	14TH FC	24,	Sand	8.21	13.136	15950	60	788.16	15190.476	759.5238
	PO Sach, Chamba		28-09-2021					60	0	0	0
15	M/S Manup Sharma	15TH FC	13	Sand	6.65	10.64	12682	60	638.4	12078.095	603.9048
	PO Laddu, Chamba		12-05-2022	Stone	2	4.48	27001	60	268.8	25715.238	1285.762
				Aggre.	13.5	26.19	30496	60	1571.4	29043.81	1452.19
16	M/S Manup Sharma	15TH FC	21-23	Sand	5.11	8.176	9918	80	654.08	9445.7143	472.2857
	PO Laddu, Chamba		31-08-2022	Stone	4.6	10.304	8280	80	824.32	7885.7143	394.2857
				Aggre.	8.49	16.4706	20505	80	1317.648	19528.571	976.4286
17	M/S Manup Sharma	15TH FC	35,	Sand	6.23	9.968	11879	80	797.44	11313.333	565.6667
	PO Laddu, Chamba		25-11-2022	Stone	15.13	33.8912	30581	80	2711.296	29124.762	1456.238
16	M/S Pawan Kumar	MGREGA	27 & 35	Sand	10.22	16.352	19290	60	981.12	18371.429	918.5714
	S/o Sh. Udha Ram, PO Sach		06-07-2021	Stone	12.96	29.0304	18151	60	1741.824	17286.667	864.3333
17	M/S Pawan Kumar Sharma	MGREGA	30,36 & 39	Stone	9.33	20.8992	12400	60	1253.952	11809.524	590.4762
	PO Sach, Chamba		06-07-2021	Sand	32.28	51.648	56017	60	3098.88	53349.524	2667.476
18	M/S Pawan Kumar Sharma	MGREGA	42 & 43	Stone	12.46	27.9104	18691	60	1674.624	17800.952	890.0476
	PO Sach, Chamba		06-07-2021	Sand	5.66	9.056	11000	60	543.36	10476.19	523.8095
				Aggre.	5.66	10.9804	12999	60	658.824	12380	619
19	M/S Deepak Kumar	MGREGA	44 to 47	Stone	33.41	74.8384	70140	60	4490.304	66800	3340
	PO Sach, Chamba		06-07-2021						0	0	0
20	M/S Pawan Kumar	MGREGA	48,	Stone	8.43	18.8832	15749	60	1132.992	14999.048	749.9524
	S/o Sh. Udho Ram, PO Sach,		06-07-2021						0	0	0
21	M/S Manup Sharma	MGREGA	20 to 30	Sand	136.6	218.56	244094	80	17484.8	232470.48	11623.52
	PO Laddu, Chamba		29-05-2022	Stone	91.13	204.131	146348	80	16330.5	139379.05	6968.952
				Aggre.	59.77	115.953	134974	80	9276.2	128546.67	6427.333
				Total			1451932		96651.32	1382792.4	69139.6
	If Supplier is not mining lease holder than 27% penalty on Amount after April 2022										

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs60/80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   Conversion Factor
2. A. From Square Feet to Cubic Meter M3
   35.31 Sq Ft = 1 Cubic Meter (M^3) Common to all items Sand, Stone & Aggregate
3. B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne
   One Cubic Meter (M^3) Sand 1.6
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate 1.94
   One Cubic Meter (M^3) Stone 2.24
4. All items Sand, Stone & Aggre. average weight are taken for conversion while cubic meter to tonne
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not

सचिव
ग्राम पंचायत ड्रमण
विकास खण्ड चम्बा
जिला चम्बा (हि.प्र.)

परिशिष्ट – "5"

ग्राम पंचायत ब्र.ण. विकास खण्ड चंबा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश संयुक्त हस्ताक्षर के बिना अनियमित भुगतान करने बारे (पैरा संख्या 3.2 से संबंधित)

Sr.No./ Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1. RCSA	02/ 26-07-21	Tiles	-	M/S Sanpau Marble and Tiles Vill. Parei Chamba	42285	Joint. Sign
2. 14th FC	37/ 24-03-22	LCD with Goggle volte	01@63169	M/S Hari Om Computers Chamba	63169	Joint. Sign
3. 13th FC	01 to 03/ 25-05-22	Hardware Material	-	M/S Malhotra Traders Sultanpur Chamba	79559	Joint. Sign
				Total	185013	